न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, आंवला, जिला बरेली।

वाद संख्या - 3166/2021

सरकार बनाम कल्लू उर्फ कल्याण

धारा- 3/25 आयुध अधिनियम

मु.अ.सं.- 29/2009

थाना- अलीगंज, जिला बरेली।

दिनांक-05.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त कल्लू उर्फ कल्याण उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 18.05.2022 से कार्यवाही अंतर्गत धारा 299 दं.प्र.सं. अग्रसारित है। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 दं.प्र.सं. प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। पत्रावली निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है-

1. पत्रावली पर लाल स्याही से अंकित किया जाये "पत्रावली विनिष्ट किये जाने योग्य नहीं हैं।"

2. अभियुक्त कल्लू उर्फ कल्याण के विरूद्ध शाश्वत गैर-जमानतीय अधिपत्र जारी किये जायें।

3. सूचना संबंधित थानाध्यक्ष एवं एस.एस.पी. को तत्काल प्रेषित की जायें।

4. अभियुक्त कल्लू उर्फ कल्याण की उपस्थित की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर प्रस्तुत की जायें।

पत्रावली नियमानुसार स्थायी अभिलेख के रूप दाखिल अभिलेखागार हो। पत्रावली को विनिष्ट न किये जाने योग्य पत्रावली सूची में रखा जाये। जामीनदारों के विरूद्ध पृथक रूप से धारा- 446 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसारित की जाती है।

(अंकित कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
आंवला जिला, बरेली।